न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 101/2019 जीसीएमएस संख्या 2019/00052

1. सुवालाल पुत्र माधाराम
2. सांवलराम पुत्र माधाराम
   समस्त जातियान अहीर निवासी ग्राम बनार तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर राज0।

–अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर राज0।
2. सुरेश पुत्र माधाराम जाति अहीर निवासी बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0 ।

–रेस्पोडेन्ट्स

3. बरफी देवी पुत्री माधाराम जाति अहीर निवासी बनार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली आदेश दिनांक 01.01.2019 जिसके आधार पर दर्ज नामा0 संख्या 612 दिनांक 18.01.2019 बाबत् आराजी खसरा नं. 222, 232, 233, 248, 353 वाके ग्राम मौजा बनार तहसील कोटपूतली।

उपस्थित–

1. श्री हेमन्त दीक्षित वकील अपीलान्ट
2. श्री सुनील कुमार शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक–16.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.01.2019 एवं नामा0 संख्या 612 दिनांक 18.01.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष ग्राम बनार के आराजी खसरा नं. 222, 232, 233, 248, 353 कुल किता 6 कुल रकबा 1.12 है0 बाबत् मृतक खातेदार

सुगनी देवी के हिस्सा 1/6 के संबंध में विरासत का नामा0 दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा सुगनी देवी की विरासत सुरेश पुत्र माधाराम के नाम दर्ज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2019 को दिए गये।

3. तहसीलदार कोटपूतली के उक्त निर्णय दिनांक 01.01.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटपूतली के निर्णय दिनांक 01.01.2019 एवं उसकी पालना में खोले गये नामा0 संख्या 612 दिनांक 18.01.2019 को निरस्त कर सुगनी देवी की विरासत उसके वारिसान् अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 222, 232, 233, 248, 353 कुल किता 5 कुल रकबा 1.12 हैक्टेयर वाके मौजा बनार के 1/6 हिस्से की खातेदार सुगनी देवी पत्नि माधाराम की मृत्यु दिनांक 27–7–2017 को होने पश्चात उसकी विरासत का इन्तकाल खुलवाने के लिये सुरेश पुत्र माधाराम ने अपने आपको सुगनी का एकमात्र वारिस बताते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया तथा सुवालाल वगैरह की तरफ से विरासत खुलवाने के कागजात पेश किये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 1–1–2019 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर केवल रेस्पोडेण्ट सुरेश के नाम नामान्तकरण कार्यवाही कर उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 612 दिनांक 18–1–2019 को दर्ज व तस्दीक किया गया।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि सुगनी देवी की जायन्दा संतान पुत्रान् सुरेश, सुवालाल, सांवलराम एवं पुत्री बरफी देवी है तथा सुगनी देवी के आराजी खसरा नम्बर 222, 232 233, 248, 353 वाके मौजा बनार में दर्ज 1/6 हिस्से के सम भाग में नामान्तकरण दर्ज तस्दीक करवाने के अधिकारी सुगनी देवी के उक्त चारो जायज कायम मुकामान वारिसान है। हिन्दू उत्तराधिकार कानून के तहत यदि किसी निर्वसियति हिन्दू की मृत्यु होती है तो उसके प्रथम श्रेणी के वारिसों में उसकी सम्पत्ति न्यायसंगत होगी । इस प्रकार मुताबिक कानून सुगनी के उक्त चारो प्रथम श्रेणी के वारिसान होने से सुगनी देवी की विरासत का इन्तकाल अपने हक में बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज करवाने का अधिकारी है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में सुगनी पत्नि बोदूराम के जायन्दा संतान बरफी व सुवालाल बताये है तथा बोदू की मृत्यु पश्चात सुगनी माधाराम के नाते आ गई जिसके पश्चात सांवलराम व सुरेश हुये। इस प्रकार सुगनी देवी की जायन्दा संतान सुवालाल, सांवलराम सुरेश व बरफी देवी है तथा इसी प्रकार उसकी विरासत का इन्तकाल दर्ज व तस्दीक किया जाना कानून सम्मत था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना कर घोर कानूनी भूल की है और तहसीलदार कोटपूतली का निर्णय व इन्तकाल की कार्यवाही अपास्तनीय है। सुवालाल व सांवलराम के तमाम दस्तावेजात में उसकी वल्दीयत माधाराम अंकित है तथा माननीय न्यायालय से जो सम्मन जारी हुये है उनमें भी वल्दीयत माधाराम है तथा इस प्रकार कोई भी ऐसा

प्रादेशिक आयुक्त
जयपुर

तथ्य नहीं है कि सुगनी की विरासत दर्ज करने में आडे आता है तथा सुगनी के तमाम जायन्दा वारिसान बहिस्सा बराबर इन्तकाल दर्ज कराने के अधिकारी थे । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने ढंग से निर्णय पारित कर सुरेश रेस्पोडेण्ट अकेले के नाम इन्तकाल दर्ज करने का आदेश फरमाया जो कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय मनमानी व विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है। नामान्तकरण कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है यदि सुरेश कोई अधिकार तैय कराना चाहता है तो उसके लिये वह अलग से दावा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय को केवल और केवल विरासत का इन्तकाल मृतक सुगनी के वारिसों के समभाग में दर्ज करने का निर्णय पारित करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटपूतली के निर्णय दिनांक 01.01.2019 एवं उसकी पालना में खोले गये नामा0 संख्या 612 दिनांक 18.01.2019 को निरस्त कर सुगनी देवी की विरासत उसके वारिसान् अपीलांट्स व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 222, 232, 233, 248, 353 मौजा बनार के खातेदार काश्तकार हरदा पुत्र गंगू जाति अहीर थे। उक्त हाल खसरा नम्बर 222, 232, 233, 248, 353 मौजा बनार साबिक खसरा नम्बर 144, 230 मि. 152 से बने है । हरदा के तीन पुत्र बोदूराम, मूला व माधाराम थे। हरदा पुत्र गंगू की मृत्यू के उपरान्त उक्त आराजी मुताबिक खसरा पत्रक मूलाराम, मादाराम पिता हरदा हिस्सा 2/3 सुगाराम सावंलाराम पिता बोदूराम हिस्सा 1/3 जाति अहीर के नाम दर्ज हुआ। मिसल बदोंबस्त 2037–56 मौजा बनार में भी उक्तानुसार प्रविष्टि दर्ज है। बोदूराम की पत्नि का नाम सुगनी था एवं बोदूराम की मृत्यु के उपरान्त माधाराम के नाते चली गई। बोदूराम की विरासत पूर्व में ही सुवालाल एवं सांवलराम के नाम दर्ज रेकार्ड है। माधाराम की विरासत नामान्तकरण संख्या 428 के द्वारा सुगनी देवी एवं सुरेश के नाम दर्ज हुई। इसलिए सुगनी की मृत्यु होने के उपरान्त उसका एकमात्र वारिस सुरेश उसकी विरासत का विधिक अधिकारी है। अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। स्वयं सुवालाल एवं सांवल ने अपने बयानों मे इस तथ्य का उल्लेख किया है कि सुवालाल एंव सांवलराम के पिता बोदूराम थें एवं सुरेश के पिता माधाराम थे। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् सुगनी देवी की विरासत का नामान्तरकरण उसके एकमात्र विधिक अधिकारी प्रार्थी सुरेश पुत्र मधाराम जाति अहीर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के न्यायोचित अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 01.01.2019 को यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अपीलांट के कथनानुसार अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने से माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने की नजीरों के आलोक में

अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर न्यायहित में अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 222, 232, 233, 248, 353 मौजा बनार के खातेदार काश्तकार हरदा पुत्र गंगू जाति अहीर थे। हरदा के तीन पुत्र बोदूराम, मूला व माधाराम थे। हरदा पुत्र गंगू की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी मुताबिक खसरा पत्रक रूडाराम, रमेश पिता मूला, मिश्री देवी पत्नी मूला हिस्सा 1/3 एवं माधाराम पुत्र हरदा 1/3 सुगाराम, सांवलराम पिता बोदूराम हिस्सा 1/3 जाति अहीर के नाम दर्ज हुई। बोदूराम की मृत्यु होने पर बोदूराम की पत्नि सुगनी देवी, माधाराम के नाते चली गई एवं माधाराम व सुगनी के नुकते से सुरेश पैदा हुआ। प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार श्रीमती सुगनी देवी पत्नी माधाराम की विरासत को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् एवं जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुवालाल एवं सांवलराम के पिता बोदूराम थे एवं बोदूराम की विरासत पूर्व में ही सुवालाल एवं सांवलराम पिता बोदू हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है तथा माधाराम की विरासत नामान्तकरण संख्या 428 दिनांक 30.04.2014 के द्वारा सुगनी देवी एवं सुरेश के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसे सुवालाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने बयान में कभी चुनौती नहीं दिया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में श्रीमती सुगनी देवी के माधाराम के नाते चले जाने के कारण उनके नुकते से उत्पन्न संतान सुरेश उसकी विरासत पाने का विधिक अधिकारी है। उपरोक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा सजरा खानदान एवं दस्तावेजात्, शपथ पत्रों, बयान इत्यादि के आधार पर सुगनी देवी की विरासत सुरेश पुत्र माधाराम के नाम दर्ज करने के विधिवत् अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2019 को दिए गये एवं उसकी पालना में विधिवत् नामा0 संख्या 612 दिनांक 18.01.2019 खोला गया है, जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.01.2019 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर